

//1//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-281/10

Filling number 235103000232010

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-281/10

संस्थित दिनांक- 13.07.2010

Filling number 235103000232010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. गुड्डा उर्फ पहलवान पुत्र भैरो सिंह लोधी उम्र 43  
साल निवासी ग्राम आकेत थाना पिपरई  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....आरोपी

:: निर्णय ::

(आज दिनांक- 27.04.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 दोबार, 338 भा0द0वि0 एवं धारा 3/181, 146/196, 39/192 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 12.02.2010 को 19:00 बजे भागीरथ आकेत के खेत के पास रोड पर सार्वजनिक स्थान पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जी 6529 को तेजी व लापरवाही पूर्व चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर खडे आटो यूपी94 0886 में टक्कर मारकर कल्लू मालम को उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को उपेक्षा उतावेपन से चलाकर आटो को टक्कर मारकर मोहन की अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल को बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कागजात के चालान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना पंजीयन के चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 17.02.2017 को फरियादी/आहत मोहन, मालम व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण

आरोपी गुड्डा उर्फ पहलवान को धारा 337, 338 भा0द0वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03.** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी मोहन ने कल्लू मालम, भैयाराम के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.02.2010 को वह पिपरई से भटौली जा रहा था कि भागीरथ के कुंआ के पास आटो क्र0 यूपी94 बी 0886 में बैठे थे कि आकेत तरफ से एक हीरो होन्डा मोटरसाईकिल के चालक गुड्डा लोधी ने आकेत तरफ से मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर खडे उक्ट आटो में टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने, बाये पैर के घुटने में चोट लगकर खून निकल आया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, द टना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04—** अभियुक्त को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05.** राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त के द्वारा दिनांक 12.02.2010 को 19:00 बजे भागीरत आखेट के खेत के पास रोड पर सार्वजनिक स्थान पर तेजी एवं लापरवाही पूर्वक मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जी 6529 को चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2.	क्या उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर खडे आटो यूपी94 0886 में टक्कर मारकर कल्लू को उपहति कारित की ?
3.	क्या उक्त घटना दिनांक को उक्त मोटरसाईकिल को बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?
4.	क्या उक्त घटना दिनांक को उक्त वाहन को बिना बीमा कागजात के चालान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?
5.	क्या उक्त घटना दिनांक को उक्त वाहन को बिना पंजीयन के

	चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?
--	--

## // विचारणीय प्रश्न क्र. 1 लगायत 5 //

**06.** विचारणीय प्रश्न क्र. 1 लगायत 5 का विश्लेषण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। मोहन अ0सा01 का कहना है कि हाजिर अदालत आरोपी गुड्डा को जानता है। घटना करीब 6-7 साल पहले की है। घटना दिनांक को वह, उसका साला भैयालाल, उसका बहनोई कल्लू, मालम ग्राम बकसपुर से ग्राम भतौली जा रहे थे। घटना आकेत गाँव के पास की है। घटना दिनांक को ऑटो से जा रहे थे, आकेत तरफ से एक मोटरसाईकिल जिसे आरोपी गुड्डा चला रहा था आरोपी गुड्डा द्वारा ऑटो के पास से मोटरसाईकिल निकाली गई तो मोटरसाईकिल आटो से टकरा गई, मोटरसाईकिल की टक्कर से उसे दाहिने पैर और बांये पैर के घुटने भी चोट आई थी। पुलिस ने उसकी कल्लू और मालम की चोटों का परीक्षण कराया था। घटना के संबंध में उसने द्वारा थाना पिपरई में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके साथ ऑटो में बैठे कल्लू और मालम को भी मामुली चोटे आ गई थी।

**07.** अभियोजन अधिकारी द्वारा मोहन अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि मोटरसाईकिल का चालक गुड्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। इस बात से इंकार किया कि मोटरसाईकिल का नम्बर एमपी08 जी 6529 है। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका तथा मालम का आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। साक्षी मोहन अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि टैक्सी के ब्रेक लगाने से वह ऑटो के बाहर गिर गया था और चोटे लग गई।

**08—** मालम अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह

आरोपी गुड्डा को जानता है। घटना दिनांक को वह मोहन, कल्लू व अन्य लोग पिपरई से ग्राम भटौली आटो से जा रहे थे, आकेत तरफ से एक मोटरसाईकिल जिसे कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम टैक्सी चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से उसमें बैठी सवारी बाहर गिर गई थी और उसी समय आकेत तरफ से आ रही मोटरसाईकिल भी गिर गई थी जिससे उसे मोहन व कल्लू को चोट आ गई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि मोटरसाईकिल के चालक गुड्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था और अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि मोटरसाईकिल का नम्बर एमपी08 जी 6529 है।

**09—** हरवल अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी गुड्डा को जानता है परन्तु फरियादी मोहन, आहत मालम और कल्लू को नहीं जानता है क्योंकि वह उसकी ऑटो में सवारी थी। घटना दिनांक को वह उसकी ऑटो को पिपरई से गरीली ले जा रहा था। आरोपी गुड्डा उसकी मोटरसाईकिल आकेत तरफ से चलाता हुआ लाया और लाईट की चकाचौद में ऑटो के ब्रेक लगाने से ऑटो में बैठी सवारियां गिर गई थी जिससे चोट आ गई थी और मोटरसाईकिल चालक गुड्डा भी गिर गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि मोटरसाईकिल का चालक गुड्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था।

**10—** कल्लू आदिवासी अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी गुड्डा को जानता है। घटना वर्ष 2010 की होकर रात को 8-9 बजे की है। घटना के समय वह मालम, मोहन व अन्य लोग ऑटो से जा रहे थे। वह ऑटो में बैठा था इसलिये नहीं देख पाया कि घटना किस प्रकार हुई तथा घटना में उसे ऑटो का एंगल लगने से चोट आ गई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि मोटरसाईकिल का चालक गुड्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था।

**11—** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तो प्रमाणित है कि घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल को आरोपी गुड्डा चला रहा था किन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि मोटरसाईकिल का चालक गुड्डा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा अभियोजन साक्ष्य से स्वयं आहत कल्लू ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना में ऑटो का एंगल लगने से उसे चोट आ गई थी। आरोपी की टक्कर से उसे कोई चोट नहीं आई।

**12—** उल्लेखनिय है कि अभियोजन साक्षी मोहन अ0सा01, हरवल अ0सा03, ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय जप्तशुदा मोटरसाईकिल को आरोपी गुड्डा द्वारा चलाया जाना व्यक्त किया है एवं स्वयं अभियुक्त गुड्डा द्वारा उसके अभियुक्त परीक्षण के प्रश्न 5 में भी इस बात को सही बताया है कि आकेत तरफ से वह मोटरसाईकिल लेकर आया और ऑटो के पास से निकाली जिससे वह ऑटो से टकरा गयी। ऐसी स्थिति में घटना, दिनांक समय एवं लोक मार्ग पर प्रश्नगत वाहन एमपी08 जी 6529 को चलाने के संबंध में अभियुक्त के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति प्रभावी बीमा एवं पंजीयन था। उक्त तथ्य विशिष्ट तथ्य होने के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है और अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को उसके पास वैद्य चालन अनुज्ञप्ति बीमा एवं पंजीयन होने के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही तद्दिनांक को अभियुक्त के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति बीमा एवं पंजीयन होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति बीमा एवं पंजीयन प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व लोक मार्ग पर उक्त वाहन को बिना वैद्य चालन अनुज्ञप्ति बीमा एवं पंजीयन के चलाया।

**13—** उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337 "कल्लू के संबंध में" प्रमाणित करने में असफल रहा है, किन्तु अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं 39/192 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त गुड्डा के आधिपत्य में मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जी 6529 का वैद्य चालन अनुज्ञप्ति बीमा एवं उक्त वाहन का पंजीयन नहीं था। अतः आरोपी गुड्डा को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में **200/— रुपये** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 7 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे, धारा 146/196 के अन्तर्गत **500/— रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे तथा 39/192 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में **2000/— रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

**14.** प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 जी 6529 को

//6//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-281/10

**Filling number 235103000232010**

उसके पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात वापस की जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**15—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**16—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//7//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-281/10

**Filling number 235103000232010**